



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 14.02.2021

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 14.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को ग्राम गुर्जर पुर से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

ज्ञात हो कि दिनांक 11.02.2021 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के सम्बन्ध में उसके परिजनों द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी थी । दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश थाना प्रभारी झिंझाना को दिये गये ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नावेद पुत्र राशिद निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली ।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मु0अ0सं0 74/2021 धारा 452, 323, 354B,504,506 भादवि एवं 7/8 पोक्सो अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री धर्मवीर सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2. का0 मैनपाल थाना झिंझाना जनपद शामली ।

3. म0का0 आरती थाना झिंझाना जनपद शामली ।



थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बेदखेडी के जंगल में हुई व्यक्ति की हत्या का मुख्य हत्याभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल अवैध हथियार बरामद ।

दिनांक 01.02.2021 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा ग्राम बेदखेडी के जंगल में हत्या कर डाले गये मृतक मुस्तफा की घटना का अति अल्प समय में सफल अनावरण करते हुए हत्या में शामिल 01 अभियुक्त रवि कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । उक्त घटना में मुख्य हत्याभियुक्त विजयपाल घटना के बाद से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना झिंझाना पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे, जिसके क्रम में दिनांक 13.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर ग्राम बेदखेडी के जंगल में हुई व्यक्ति की हत्या में फरार मुख्य हत्याभियुक्त विजयपाल को केरटू-औदरी मार्ग से अवैध तमंचा, 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधिनिक कार्रवाही की जा रही है । अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- विजयपाल पुत्र मांगेराम निवासी मौहल्ला तलाही कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1. आलाकत्ल अवैध तमंचाए 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री श्यामवीर थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।

3. का0 सन्दीप थाना झिंझाना जनपद शामली ।

4. का0 अर्जुन थाना झिंझाना जनपद शामली ।



थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा शराब तस्करी गिरफ्तार, कब्जे से अवैध अंग्रेजी/देशी शराब हरियाणा मार्का की कुल 20 पेटी, 05 लीटर रेक्टिफाइड शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त आई-10 ग्राण्ड कार बरामद ।

दिनांक 13.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामिली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामिली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सूचना पर यमुना ब्रिज से 01 शराब तस्करी को अवैध अंग्रेजी/देशी शराब हरियाणा मार्का की 20 पेटी, 05 लीटर रेक्टिफाइड शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त आई-10 ग्राण्ड कार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसका दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा । बरामदगी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । गिरफ्तार अभियुक्त से हुई जानकारी में बरामद अवैध शराब को हरियाणा राज्य के जिला पानीपत से उत्तर प्रदेश के जनपद मु0नगर के शाहपुर को ले जा रहे थे ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- सुनील कुमार पुत्र रमेश चन्द निवासी ग्राम डुराना थाना गोहाना जनपद सोनीपत हरियाणा ।

नाम व पता फरार अभियुक्त:-

1- मोनू पुत्र मामन सिंह निवासी पुराना थाना गोहाना जनपद सोनीपत हरियाणा (चालक) ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- अवैध शराब कुल 20 पेटी हरियाणा मार्का (19 पेटी मैग डबल, नाईट ब्लू, अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का, 01 पेटी देशी शराब रसीला संतरा)
- 2- रेक्टिफाइड 05 लीटर शराब ।
- 3- एक मोबाइल फोन (रीयल मी) ।
- 4- परिवहन में प्रयुक्त आई-10 ग्राण्ड गाड़ी रंग सफेद नं0- HR-69D-2567 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कैराना जनपद शामिली ।
- 2- हे0का0 अरुण कुमार थाना कैराना जनपद शामिली ।
- 3- का0 नीतेश कुमार थाना कैराना जनपद शामिली ।
- 4- का0 अमित सांगवान थाना कैराना जनपद शामिली ।
- 5- का0 शिवकान्त थाना कैराना जनपद शामिली ।
- 6- का0 ललित कुमार थाना कैराना जनपद शामिली ।

